न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) [illegible]

पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान [illegible]

मि0न0 — 211/2013

अनवान : —

1. मदनलाल पुत्र रूलीचंद जाति महाजन निवासी छानीबडी त0 भादरा। मृतक
1/1 संतोष पत्नी मदनलाल जाति महाजन निवासी छानीबडी त0 भादरा।
1/2 राजेश कुमार पुत्र मदनलाल जाति महाजन निवासी छानीबडी त0 भादरा।
1/3 सुमन पुत्री मदनलाल जाति महाजन निवासी छानीबडी त0 भादरा।
1/4 अमित कुमार पुत्र मदनलाल जाति महाजन निवासी छानीबडी त0 भादरा।
1/5 सीमा पुत्री मदनलाल जाति महाजन निवासी छानीबडी त0 भादरा।
1/6 लक्ष्मीनारायण पुत्र मदनलाल जाति महाजन निवासी छानीबडी त0 भादरा।

:—वादी

बनाम

1. सरस्वती पत्नी स्व0 जुगतीराम जाति सुनार निवासी छानीबडी तहसील भादरा। **मृतक**
2. रूलीराम पुत्र जुगतीराम जाति सुनार निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
3. कृष्ण पुत्र जुगतीराम जाति सुनार निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
4. राजेश पुत्र जुगतीराम जाति सुनार निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
5. चन्द्रकला पुत्री जुगतीराम जाति सुनार निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
6. सुमित्रा पुत्री जुगतीराम जुगतीराम जाति सुनार निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
7. लीलावती पुत्री जुगतीराम जाति सुनार निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
8. कौशल्या पुत्री जुगतीराम जाति सुनार निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
10. उप पंजीयक उप तहसील छानीबडी तहसील भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री योगेश कुमार व वकील प्रतिवादीगण श्री अर्जून बैनीवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर उपरोक्त तनकीयात के विवेचन व प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर हस्तगत के आधार पर वाद वादीगण अपना साबित करने में असफल रहा है, अतः वाद वादीगण साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। तथा काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 4 जेजीडब्ल्यू के मु0 न0 30 के किला न0 23/2 की 0.126है0 वादभूमि में प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ....21/5/15.... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.07 11:12:15 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

प्रक0नं0 – 211/2013

अन्वान : –

1. मदनलाल पुत्र रूलीचंद जाति महाजन निवासी छानीबडी त0 भादरा। मृतक
1/1 संतोष पत्नी मदनलाल जाति महाजन निवासी छानीबडी त0 भादरा।
1/2 राजेश कुमार पुत्र मदनलाल जाति महाजन निवासी छानीबडी त0 भादरा।
1/3 सुमन पुत्री मदनलाल जाति महाजन निवासी छानीबडी त0 भादरा।
1/4 अमित कुमार पुत्र मदनलाल जाति महाजन निवासी छानीबडी त0 भादरा।
1/5 सीमा पुत्री मदनलाल जाति महाजन निवासी छानीबडी त0 भादरा।
1/6 लक्ष्मीनारायण पुत्र मदनलाल जाति महाजन निवासी छानीबडी त0 भादरा।

:—वादीगण

बनाम

1. सरस्वती पत्नी स्व0 जुगतीराम जाति सुनार निवासी छानीबडी तहसील भादरा। मृतक
2. रूलीराम पुत्र जुगतीराम जाति सुनार निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
3. कृष्ण पुत्र जुगतीराम जाति सुनार निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
4. राजेश पुत्र जुगतीराम जाति सुनार निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
5. चन्द्रकला पुत्री जुगतीराम जाति सुनार निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
6. सुमित्रा पुत्री जुगतीराम जुगतीराम जाति सुनार निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
7. लीलावती पुत्री जुगतीराम जाति सुनार निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
8. कौशल्या पुत्री जुगतीराम जाति सुनार निवासी छानीबडी तहसील भादरा।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
10. उप पंजीयक उप तहसील छानीबडी तहसील भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री योगेश शर्मा वादी
श्री अर्जुन बैनीवाल प्रतिवादी

दिनांक: 2.1.5.

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 4 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 58/57 के मु0 न0 30 के किला न0 23/2 की 0.126है0 कुल रकबा 0.126है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि जुगतीराम पुत्र देबूराम को सुनार की खातेदारी कृषि भूमि थी जिसे वादी ने दिनांक 27.08.1987 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद कर भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त कर लिया।

उपरोक्त वर्णित वादभूमि को वादी ने दिनांक 27.08.1987 को बैरूवें बैयनामा खरीद की थी तब से आज तक उक्त कृषि भूमि वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है वादी ही राजस्व व आबियाना अदा करता आ रहा है। वादी ने वाद भूमि खरीदने के बाद बैयनामा की चित्र प्रति वास्ता नामान्तरण दर्ज करने हल्का पटवारी दे दी थी। उसे यह कतई ज्ञान नहीं था कि भूमि खरीदने के बाद बैयनामा का इन्तकाल करवाना पडेगा। क्योंकि उसे रजिस्ट्रर के वक्त तहसील परिसर में यही बताया गया कि उप पंजीयक कार्यालय भादरा द्वारा अपने आप पटवारी को बैयनामा की नकल भेजकर इन्तकाल दर्ज हो जायेगा।

चूंकि जुगतीराम द्वारा वादभूमि में से 0.126है0 भूमि मदनलाल को विक्रय की जा चुकी थी और जुगतीराम द्वारा उक्त भूमि वादी मदनलाल को विक्रय कर उसका कब्जा सम्भला दिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.07 11:12:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

था। लेकिन जमाबंदी में बदस्तूर जुगतीराम का नाम ही चलता रहा जो बाद मृत्यु जुगतीराम के वारिसान सरस्वती, रूलीराम, कृष्ण, राजेश, चन्द्रकला, सुमित्रा, लीलावती, कौशल्या के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 8 को शुरू से ही इस बात का ज्ञान था कि उनके पिता जुगतीराम द्वारा वादभूमि 0.126है0 भूमि वादी मदनलाल को विक्रय की जाकर उसका कब्जा सम्भला दिया था। तथा मौका पर खरीददार वादी काबिज काश्त है। लेकिन फिर भी प्रतिवादीगण सं0 1 ता 8 ने अमला माल से साज कर विरासती अपने नाम करवा लिया। उक्त इन्तकाल को वादिया अवैध व शून्य घोषित करवाकर जुगतीराम से खरीदशुदा कृषि भूमि 0.126है0 भूमि की वादी मदनलाल अपने हिस्से की भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त प्रतिवादी 1 ता 8 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। वकील प्रतिवादी ने जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर कथन किया कि रोही मौजा चक 4 जेजीडब्ल्यू के मु0 न0 30 के किला न0 23/2 की 0.126है0 भूमि को जुगतीराम ने वादी मदनलाल को दिनांक 27.08.1987 को विक्रय नहीं की थी ना ही उसे कब्जा दिया गया था। क्योंकि उक्त वादभूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद खातेदारी कृषि भूमि है । जुगतीराम परिवार का कर्ता खानदान होने के कारण भूमि उसके नाम खातेदारी दर्ज थी। परिवार की जायज जरूरत के लिए संयुक्त परिवार की सम्पति को विक्रय करने की कोई आवश्यकता नही थी। जुगतीराम को कुल भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं था। उक्त विक्रय पत्र फर्जी दस्तावेज है। वादी ने जुगतीराम को कोई प्रतिफल अदा नहीं किया व ना ही भूमि का कब्जा संभलाया है। दिनांक 25.05.1998 को जुगतीराम की मृत्यु के पश्चात भूमि को नामान्तरण जुगतीराम के जायज वारिसान के नाम दर्ज हो गया। दिनांक 27.08.1987 को किया गया बैयनामा शुरू से ही शून्य एवं प्रभावहीन है।

वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिवचनों व उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि चक न0 4 जेजीडब्ल्यू के खाता सं0 58/57 के मु0 न0 30 के किला न0 23/2 की 0.126है0 भूमि जुगतीराम सुनार से करवाये गये बैयनामें दिनांक 27.08.1987 एवं वादी का 12 वर्ष से अधिक समय का भूमि पर मुखालफाना कब्जा के आधार पर खातेदार काश्तकार है ? :–वादीगण
2. आया कि वादभूमि संयुक्त परिवार की जद्दी कृषि भूमि की जिसमें प्रतिवादीगण 1 ता 8 एवं स्वयं जुगतीराम का 1/9–1/9 हिस्सा था। इस प्रकार विक्रय पत्र 27.08.1987 बमुकाबले प्रतिवादीगण प्रारम्भ से ही शून्य एवं प्रभावहीन है। :–प्रतिवादीगण
3. आया कि वादी ने जुगतीराम के वारिसान के नाम भूमि का इन्तकाल दर्ज होने के संबंध में कोई एतराज नहीं किया एवं उसके खिलाफ आचरण द्वारा विबंध का सिद्वान्त लागू होता है। :– वादीगण
4. क्या दावा अन्दर मियाद पेश है। :–वादी
5. अनुतोष?

साक्ष्यवादी में वादी मदनलाल पुत्र रूलीचंद के ब्यान करवाये गये। साक्ष्यवादी में वादी ने जमाबंदी रोही चक 4 जेएसएल के खाता सं0 58/57 प्रदर्श 1, जमाबंदी खतौनी चक 4 जेजीडब्ल्यू संवत 2042 प्रदर्श 2, बैयनामा दिनांक 27.08.1987 प्रदर्श 3 है वादी ने अपने समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पालूराम, श्रीचंद व गोरधन के मुख्य परीक्षा जरिये शपथ पत्र पेश किये। व साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी कृष्ण कुमार , राजेश कुमार व भारत के ब्यान करवाये गये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वादी ने दिनांक 19.08.1987 को बैरूवें बैयनामा खरीद की थी तब से आज तक उक्त कृषि भूमि वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है वादी ही राजस्व व आबियाना अदा करता

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.03.07 11:12:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

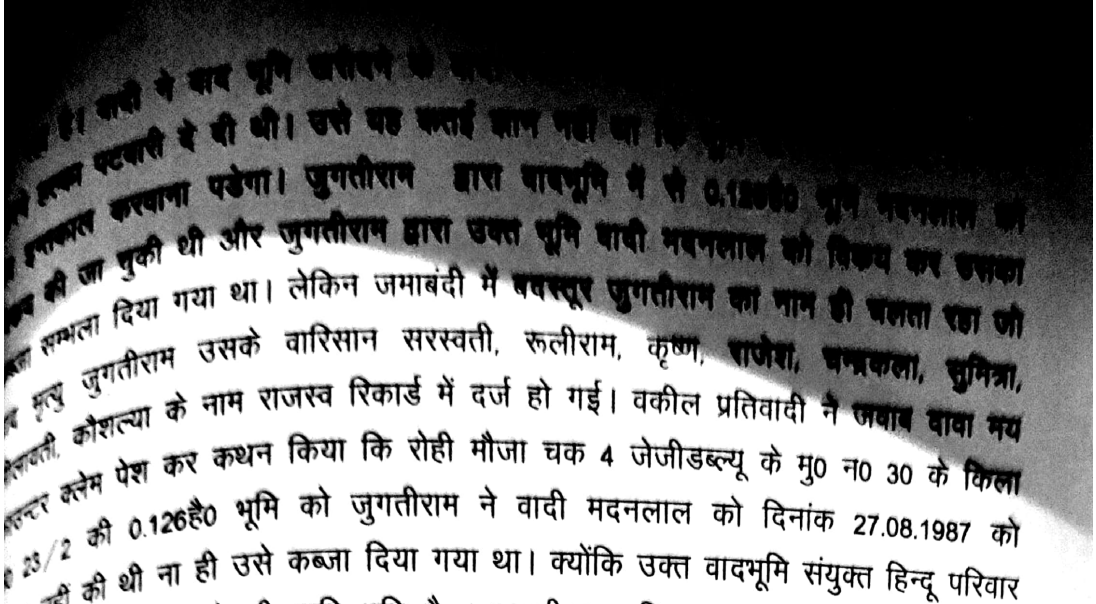

[illegible] है। वादी ने बाद भूमि [illegible]
[illegible] पटवारी से दी थी। [illegible]
[illegible] करवाना पड़ेगा। जुगतीराम द्वारा वादभूमि में से 0.126हे0 भूमि मदनलाल को [illegible]
[illegible] की जा चुकी थी और जुगतीराम द्वारा उक्त भूमि वादी मदनलाल को विक्रय कर उसका [illegible] संभला दिया गया था। लेकिन जमाबंदी में बदस्तूर जुगतीराम का नाम ही चलता रहा जो [illegible] मृत्यु जुगतीराम उसके वारिसान सरस्वती, रूलीराम, कृष्ण, राजेश, चन्द्रकला, सुमित्रा, [illegible]वती, कौशल्या के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई। वकील प्रतिवादी ने जवाब दावा मय [illegible] क्लेम पेश कर कथन किया कि रोही मौजा चक 4 जेजीडब्ल्यू के मु0 न0 30 के किला [illegible] 23/2 की 0.126है0 भूमि को जुगतीराम ने वादी मदनलाल को दिनांक 27.08.1987 को [illegible] नहीं की थी ना ही उसे कब्जा दिया गया था। क्योंकि उक्त वादभूमि संयुक्त हिन्दू परिवार [illegible] जद्दी जायदाद खातेदारी कृषि भूमि है । जुगतीराम परिवार का कर्ता खानदान होने के [illegible] भूमि उसके नाम खातेदारी दर्ज थी। परिवार की जायज जरूरत के लिए संयुक्त परिवार [illegible] सम्पति को विक्रय करने की कोई आवश्यकता नही थी। जुगतीराम को कुल भूमि विक्रय [illegible] का अधिकार नहीं था। उक्त विक्रय पत्र फर्जी दस्तावेज है। वादी ने जुगतीराम को कोई [illegible] अदा नहीं किया व ना ही भूमि का कब्जा संभलाया है। दिनांक 25.05.1998 को [illegible]तीराम की मृत्यु के पश्चात भूमि को नामान्तरण जुगतीराम के जायज वारिसान के नाम दर्ज [illegible] गया। दिनांक 19.08.1987 को किया गया बैयनामा शुरू से ही शून्य एवं प्रभावहीन है। वकील [illegible] ने जवाब काउन्टर क्लेम पेश कर कथन किया कि वादभूमि को वादी ने जरिये रजिस्टर्ड [illegible] खरीद किया था। बैयनामा रजिस्टर्ड होने ही वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये [illegible] तथा जुगतीराम ने बैयनामा के दिन ही वादी को उक्त वादभूमि को कब्जा संभला दिया था। [illegible]भूमि जुगतीराम को दिनांक 26.04.1986 हुकमन जरिये अलॉट खातेदारी प्राप्त हुई थी। [illegible]सलिए सम्पूर्ण वादभूमि का जुगतीराम अकेला मालिक व खातेदार काश्तकार था। इसलिए जुगतीराम को पूर्ण अधिकार था कि वह जब चाहे वादभूमि को किसी भी प्रकार से [illegible] सकता है। इसलिए वादी के वाद के मुकाबले काउन्टर क्लेम काबिले खारीज [illegible] प्रतिवादी ने दौराने बहस कथन किया कि वादी द्वारा उक्त विवादित भूमि रोही [illegible] जेजीडब्ल्यू के मु0 न0 30 के किला न0 23/2 के बैयनामा बाबत मूल दस्तावेज पत्रावली में पेश नही किये है व उक्त विवादित भूमि बाबत नामान्तरण की कार्यवाही किये जाने के संबंध में कोई कागजात पेश नहीं किये व ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है जिससे प्रतीत होता हो कि उक्त विवादित भूमि जुगतीराम की खरीदशुदा सम्पति हो जिससे बेचान करने का पूर्ण अधिकार जुगतीराम को है उक्त विवादित वादभूमि प्रतिवादीगण की संयुक्त परिवार की जद्दी जायदाद सम्पति है जिसे विक्रय करने का अधिकार अकेले जुगतीराम को नही था। जुगतीराम को उक्त वादभूमि से से अपने हक व हिस्सा की भूमि का विक्रय करने का हक व अधिकार है। उक्त विवादित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की भूमि है। संयुक्त परिवार की जद्दी जायदाद सम्पति को अकेला जुगतीराम बेचान नहीं कर सकता। एक ही या विभिन्न वर्गों की भू–धृतियों के विभिन्न [illegible]र्तों के अधीन संयुक्त कुटुम्ब के विभिन्न सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक रूप से धारित [illegible] गई सभी भुमियां सम्पूर्ण कुटुम्ब द्वारा संयुक्त रूप से धारित की जाने वाली समझी जावेगी। [illegible] अधिवक्ता वादीगण ने अपनी ओर से अपने तर्को के समर्थन न्यायिक दृष्टांत आरआरटी [illegible](2), हरदेवराम बनाम ग्राम पंचायत हिण्डोली व आरआरटी 2016–17 कालूसिंह बनाम [illegible]देवी आदि आदि नजीरे पेश की। व वकील प्रतिवादीगण ने अपनी ओर से अपने तर्को के [illegible] न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2019(1) स्टेट बनाम सहीराम व सन्तों आदि बनाम भोटी [illegible] नजीरे पेश की। उभयपक्षकारान के परस्पर विरोधी तर्कों पर मनन किया गया व पत्रावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shiyran
Date: 2025.05.07 11:12:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

…ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रस्तुत सम्माननीय न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया गया। हमारा विवेचन विवाद्यक वार निम्न प्रकार से है।

तनकी संख्या 1 तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है रोही मोजा चक 4 जेजीडब्ल्यू खाता सं0 58/57 के मु0 न0 30 के किला न0 23/2 की 0.1260है0 कुल रकबा 0.1260है0 जिसकी खातेदारी कृषि भूमि जुगतीराम पुत्र देबूराम को सुनार की खातेदारी कृषि भूमि थी जिसे वादी ने दिनांक 27.08.1987 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद किया गया उक्त विवादित भूमि के कब्जा बाबत ऐसा कोई दस्तावेज वादीगण ने पत्रावली में पेश नहीं किये जिससे प्रतीत होता हो कि विवादित भूमि पर कब्जा वादीगण का हो व वादी के पक्ष में कराये गये बैयनामें की मूल प्रति वादी दावा के साथ सलंग्न नहीं की है। जुगतीराम की मृत्यु होने के तुरंत पश्चात खातेदारी अधिकार उसके वारिसान में निहित हो गये थे। वादी ने जुगतीराम की मृत्यु होने के उपरान्त खातेदारी अधिकार जुगतीराम के वारिसान में निहित होने के संबंध में कभी कोई एतराज नही किया एवं दावा पेश करने से पूर्व करीब 20–25 साल लम्बे अर्से तक उक्त नामान्तरण के खिलाफ कोई अपील पेश नही की ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया जिससे प्रतीत होता है कि उक्त नामान्तरण के खिलाफ किसी सक्षम न्यायालय में अपील पेश की है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से तनकी सं. 1 वादीगण साबित करने में असफल रहे है। अतः तनकी का निर्णय वादीगण के विरूद्ध में व प्रतिवादीगण के पक्ष किया जाता है।

तनकी संख्या 2 तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है प्रतिवादीगण ने कथन किया कि वादभूमि संयुक्त परिवार की जद्दी कृषि भूमि की जिसमें प्रतिवादीगण 1 ता 8 एवं स्वयं जुगतीराम का 1/9–1/9 हिस्सा था। इसलिए जुगतीराम अकेले को उक्त वादभूमि का पूर्ण हिस्सा बेचान करने का कोई हक व अधिकार नहीं था। जुगतीराम अपने हक हिस्सा तक की भूमि को बेचान करने के लिए स्वतंत्र था। पूर्ण वादभूमि बेचान करने से जुगतीराम के वारिसान का हक व हिस्सा प्रभावित होता है। इस प्रकार विक्रय पर 27.08.1987 बमुकाबले प्रतिवादीगण प्रारम्भ से ही शून्य एवं प्रभावहीन है। चुंकि जुगतीराम उक्त विवादित भूमि में से अपना 1/9 हिस्सा का बेचान करने के लिए स्वतंत्र था। चुंकि वकील वादीगण ने उक्त वादभूमि जुगतीराम को अलॉट होना बताया है जबकि ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे प्रतीत हो कि उक्त विवादित भूमि जुगतीराम को अलॉट हुई हो। इस प्रकार उक्त वादभूमि जुगतीराम परिवार की संयुक्त जद्दी जायदाद सम्पति है संयुक्त जद्दी सम्पति को सम्पूर्ण बेचान करने का कोई हक अधिकार नहीं होता। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से तनकी प्रतिवादीगण साबित करने में सफल रहे है। अतः तनकी का निर्णय वादीगण के विरूद्ध में प्रतिवादीगण के पक्ष किया जाता है।

तनकी संख्या 3 तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है वादीगण का कथन है कि वादभूमि को वादी ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद किया था। बैयनामा रजिस्टर्ड होने ही वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे तथा जुगतीराम ने बैयनामा के दिन ही वादी को उक्त वादभूमि को कब्जा संभला दिया था। चुंकि पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे प्रतीत होता हो कि उक्त वादभूमि वादी के कब्जा काश्त में है। जुगतीराम की मृत्यु होने के तुरंत पश्चात खातेदारी अधिकार उसके वारिसान में निहित हो गये थे। वादी ने जुगतीराम की मृत्यु होने के उपरान्त खातेदारी अधिकार जुगतीराम के वारिसान में निहित होने के संबंध में कभी कोई एतराज नही किया एवं दावा पेश करने से पूर्व करीब 20–25 साल लम्बे अर्से तक उक्त नामान्तरण के खिलाफ कोई अपील पेश नही की ना ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया जिससे प्रतीत होता है कि उक्त नामान्तरण के खिलाफ किसी सक्षम न्यायालय में अपील पेश की है। वादभूमि इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से तनकी सं. 3 वादीगण साबित करने में असफल रहे है। अतः तनकी का निर्णय वादीगण के विरूद्ध में व प्रतिवादीगण के पक्ष किया जाता है।

तनकी सं0 4 तनकी तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है जुगतीराम की मृत्यु होने के तुरंत पश्चात खातेदारी अधिकार उसके वारिसान में निहित हो गये थे। उक्त नामान्तरण को वादीगण ने 20–25 साल तक कोई चुनौती नहीं दी है। दावा पेश करने से पूर्व कभी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.07 11:12:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

...ने हल्का पटवारी या तहसीलदार के समक्ष कोई प्रार्थना पेश नही किया। अगर वादी ... उक्त बैयनामा था तो तहसीलदार के समक्ष पेश होकर नामान्तरण की कार्यवाही करवाने ... स्वतंत्र था। वादी ने जुगतीराम की मृत्यु होने के उपरान्त खातेदारी अधिकार जुगतीराम ... वारिसान में निहित होने के संबंध में कभी कोई एतराज नही किया एवं दावा पेश करने से पूर्व ... 20-25 साल लम्बे अर्से तक उक्त नामान्तरण के खिलाफ कोई अपील पेश नही की व ... वादभूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की जद्दी जायदाद खातेदारी कृषि भूमि है । जुगतीराम ... का कर्ता खानदान होने के कारण भूमि उसके नाम खातेदारी दर्ज थी। परिवार की ... जरूरत के लिए संयुक्त परिवार की सम्पति को विक्रय करने की कोई आवश्यकता नही ... जुगतीराम को कुल भूमि विक्रय करने का अधिकार नहीं था। उक्त विक्रय पत्र फर्जी ... है। वादी ने जुगतीराम को कोई प्रतिफल अदा नहीं किया व ना ही भूमि का कब्जा ... है। दिनांक 25.05.1998 को जुगतीराम की मृत्यु के पश्चात भूमि को नामान्तरण ... के जायज वारिसान के नाम दर्ज हो गया। दिनांक 27.08.1987 को किया गया ... शुरू से ही शून्य एवं प्रभावहीन है। वादीगण द्वारा दावा पेश होने तक किसी भी सक्षम ... में उक्त विरासतन नामान्तरण के विरूद्व को अपील दायर नहीं की व ना ही ऐसा कोई ... पेश किया। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से तनकी सं. 4 वादीगण साबित करने में ... रहे है। अतः तनकी का निर्णय वादीगण के विरूद्व में व प्रतिवादीगण पक्ष के किया ... है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में पेश रजिस्ट्री ... अवलोकन किया गया। वादी द्वारा उक्त विवादित भूमि रोही मौजा चक 4 जेजीडब्ल्यू के मु0 ... के किला न0 23/2 के बैयनामा बाबत मूल दस्तावेज पत्रावली में पेश नही किये है ना ... कोई दस्तावेज पेश किया है जिससे प्रतीत होता हो कि उक्त विवादित भूमि जुगतीराम ... खरीदशुदा सम्पति हो जिससे बेचान करने का पूर्ण अधिकार जुगतीराम को है उक्त विवादित ... प्रतिवादीगण की संयुक्त परिवार की जद्दी जायदाद सम्पति है जिसे विक्रय करने का ... अकेले जुगतीराम को नही था। हस्तगत प्रकरण में वादभूमि पैतृक कृषि भूमि है ना की ... की स्वयं की खरीदशुदा है। पैतृक कृषि भूमि में कानून सभी विधिक वारिसानों का ... का हक व हिस्सा निहित होता है। वर्तमान में जुगतीराम के वारिसानों को जुगतीराम की ... उपरान्त विरासतन प्राप्त हुई है। जुगतीराम को उक्त वादभूमि से से अपने हक ... का विक्रय करने का हक व अधिकार है। उक्त विवादित कृषि भूमि संयुक्त परिवार ... है। संयुक्त परिवार की जद्दी जायदाद सम्पति को अकेला जुगतीराम बेचान ... एक ही या विभिन्न वर्गों की भू–धृतियों के विभिन्न खातों के अधीन संयुक्त कुटुम्ब ... सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से या पृथक रूप से धारित की गई सभी भुमियां सम्पूर्ण कुटुम्ब ... संयुक्त रूप से धारित की जाने वाली समझी जावेगी। उपरोक्त विवेचन के आधार पर ... क्लेम प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाता है तथा वाद वादीगण स्वीकार योग्य नहीं होने ... खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.05.07 11:23:53 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त तनकीयात के विवेचन व प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर हस्तगत के आधार ... वादीगण अपना साबित करने में असफल रहा है, अतः वाद वादीगण साबित नही होने के ... खारिज किया जाता है। तथा काउन्टर क्लेम प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर घोषणा ... है कि रोही मौजा चक 4 जेजीडब्ल्यू के मु0 न0 30 के किला न0 23/2 की 0.126है0 ... में प्रतिवादीगण स0 1 ता 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। खर्चा वाद ... अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो

निर्णय आज दिनांक ...21/5/25... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में ... गया।

(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़